

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ RAILWAY BOARD

सं. 2024/H-1/3/2/Organ Donors SCL

नई दिल्ली, दिनांक: 11.07.2024

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/पटियाला रेलइंजन कारखाना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/रेल पहिया कारखाना एवं महानिदेशक अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन

शुद्धिपत्र

विषय:- अंगदाताओं को विशेष आकस्मिक छुट्टी (एससीएल) प्रदान करना।

संदर्भ:- इस कार्यालय का दिनांक 10.07.2024 का समसंख्यक कार्यालय पत्र।

रेलवे बोर्ड ने उपर्युक्त संदर्भित पत्र के तहत अंगदाताओं को विशेष आकस्मिक छुट्टी (एससीएल) की स्वीकृति से संबंधित अनुदेश परिपत्रित किए हैं। पत्र की बिन्दु सं. (vii) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:

(vii) "अधिकृत अस्पताल" को रेलवे/सरकारी अस्पताल अथवा रेलवे द्वारा पैनलबद्ध निजी अस्पताल के रूप में परिभाषित किया जाता है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



नीलम यादव

निदेशक स्थापना (सामान्य)

रेलवे बोर्ड



(अरुणांशु सरकार)

कार्यपालक निदेशक स्वास्थ्य (सामान्य)

रेलवे बोर्ड

सं. 2024/H-1/3/2/Organ Donors SCL

नई दिल्ली, दिनांक: 11.07.2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां और अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां और अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन



नीलम यादव

निदेशक स्थापना (सामान्य)

रेलवे बोर्ड



(अरुणांशु सरकार)

कार्यपालक निदेशक स्वास्थ्य (सामान्य)

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. महासचिव, एफआरओए और आईआरपीओए, कमरा नं. 256-ए और 268, रेलवे बोर्ड।
5. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एवं एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. महासचिव, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी कल्याण संघ (रजिस्टर्ड), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुडगांव।

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

एफ (ई) विशेष रेलवे बोर्ड शाखा ।

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ RAILWAY BOARD

सं. 2024/H-1/3/2/Organ Donors SCL

नई दिल्ली, दिनांक: 10.07.2024

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

प्रधान मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/पटियाला रेलइंजन कारखाना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/रेल पहिया कारखाना एवं महानिदेशक अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन

विषय:- अंगदाताओं को विशेष आकस्मिक छुट्टी (एससीएल) प्रदान करना।

संदर्भ:- कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के, का दिनांक 25 अप्रैल, 2023 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-24011/23/2022-एस्टे.(लीव)

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का दिनांक 25 अप्रैल, 2023 का कार्यालय ज्ञापन सं. ए-24011/23/2022-एस्टे.(लीव) के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से अंगदाताओं को विशेष आकस्मिक छुट्टी (एससीएल) प्रदान करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कथन है कि किसी दाता से अंग को अलग करना एक बड़ा शल्योपचार (सर्जरी) है, जिसमें स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल में भर्ती रहने और भर्ती रहने के बाद की अवधियों दोनों के दौरान समय की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, अन्य मनुष्य की सहायता करना एक नेक कार्य है यह ध्यान रखते हुए और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बीच अंगदान को प्रोत्साहन देने हेतु अब जनहित में एक विशेष कल्याणकारी उपाय के रूप में अपने अंग किसी अन्य मानव को दान करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का निर्णय लिया गया है।

अब, यह निर्णय लिया गया है कि उक्त अनुदेश निम्नलिखित शर्तों पर रेल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे:

- (i) दाता के अंग अलग करने के लिए की गई शल्य चिकित्सा के प्रकार पर ध्यान दिए बिना विशेष आकस्मिक छुट्टी की अवधि पंजीकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक की सिफारिश के अनुरूप अधिकतम 42 दिनों की होगी।
- (ii) छुट्टी सभी प्रकार के जीवित अंगदाताओं को उपलब्ध होगी, बशर्ते कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 के अनुसार पंजीकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अंगदान के लिए यथाविधि स्वीकृति दी गई हो।

(iii) शल्य चिकित्सा में जटिलता की अपवादपूर्ण परिस्थितियों, जिसकी पुष्टि पंजीकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक द्वारा की जाए, को छोड़कर विशेष आकस्मिक छुट्टी को अन्य छुट्टी के साथ संयुक्त नहीं किया जाएगा।


(iv) विशेष आकस्मिक छुट्टी सामान्य रूप से अस्पताल में भर्ती होने वाले दिन से एक बार में ही ली जाएगी, तथापि आवश्यकता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे पंजीकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक की सिफारिश पर शल्य-चिकित्सा (सर्जरी) से अधिकतम एक सप्ताह पहले भी लिया जा सकता हो।

(v) उपचार करने वाले पंजीकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सक की सिफारिश पर छुट्टियों के लचीलेपन (फ्लेक्सिबिलिटी) अथवा विभाजन की अनुमति दी जा सकती है।

(vi) अंगदान से संबंधित उपचार जहां तक संभव हो, किसी अधिकृत अस्पताल से ही किया जाएगा। उपचार का ऐसे क्षेत्र/अंचल, जहां अधिकृत अस्पताल उपलब्ध न हों तथा उपचार निजी अस्पताल में कराया गया हो, के मामले में अस्पताल के संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(vii) "अधिकृत अस्पताल" को रेल अस्पताल अथवा रेलवे द्वारा पैनलबद्ध निजी अस्पताल के रूप में परिभाषित किया जाता है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



नीलम यादव
निदेशक स्थापना (सामान्य)
रेलवे बोर्ड




(अरूणांशु सरकार)
कार्यपालक निदेशक स्वास्थ्य (सामान्य)
रेलवे बोर्ड

सं. 2024/H-1/3/2/Organ Donors SCL

नई दिल्ली, दिनांक: 10.07.2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/प्रधान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां और अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन
2. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां और अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन



नीलम यादव
निदेशक स्थापना (सामान्य)
रेलवे बोर्ड



(अरूणांशु सरकार)
कार्यपालक निदेशक स्वास्थ्य (सामान्य)
रेलवे बोर्ड

सं. 2024/H-1/3/2/Organ Donors SCL

नई दिल्ली, दिनांक: 10.07.2024

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां।
2. भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

सं. 2024/H-1/3/2/Organ Donors SCL

नई दिल्ली, दिनांक: 10.07.2024

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. विभागीय परिषद और राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. महासचिव, एफआरओए और आईआरपीओए, कमरा नं. 256-ए और 268, रेलवे बोर्ड।
5. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेल सुरक्षा बल एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, आरबीएमएसए, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी एवं एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. महासचिव, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी कल्याण संघ (रजिस्टर्ड), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुडगांव।

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषितः

एफ (ई) विशेष रेलवे बोर्ड शाखा।